

उपरोक्त आवाज एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग  
लखनऊ पर दिनांक 25.3.89 को हुई 30वाँ आवाज एवं विकास  
परिषद की वर्ष-1989 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफ़रान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री महेन्द्र सिंह		सदस्य
3-	श्री ओमकार तरन मेहरोत्रा		सदस्य
4-	श्री रती राम भाटी		सदस्य
5-	श्री सतशेठ तिन्हा	उप सचिव, वित्त विभाग सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
6-	श्री नागिन्द्र सिंह	आवाज आसक्त	सदस्य
7-	श्री आर०रमणी	महानिदेशक सार्वजनिक उद्योग च्छरो	मुख्य आमंत्रित
8-	श्री के०पी० सिंह	अवर आवाज आसक्त एवं सचिव	सचिव

अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति आवाज आसक्त द्वारा सचिव किया गया कि शासन द्वारा श्री महेन्द्र सिंह, श्री रती राम भाटी, श्री ओमकार तरन मेहरोत्रा तथा श्री नागिन्द्र स्वस्व को परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है जिनमें से सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रती राम भाटी, ओमकार तरन मेहरोत्रा बैठक में उपस्थित थे। इन माननीय सदस्यों के परिषद के सदस्य नियुक्त होने पर मा०अध्यक्ष द्वारा वृत्तन्तता च्छर की गयी साथ ही नये सदस्यों को आभार व्यक्त किया गया कि इन सदस्यों के मार्गदर्शन से आवाज परिषद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्न तर्कों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संख्या सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	दि० 16.2.89 एवं 24.2.89 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की प्रति।	11/111/89	दि० 16.2.89 एवं 24.2.89 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की प्रति की गयी।
2-	दिनांक 16.2.89 एवं 24.2.89 को हुई बैठक की अनुमति आख्या	11/121/89	परिषद द्वारा दि० 16.2.89 एवं 24.2.89 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	संरक्षण तकनीकों एवं विधियों की प्रति प्रति भूखंड पर निर्माण हेतु क्रमशः एक टो वर्ष की छूट दिये जाने के संबंध में।	11/131/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक कितना समय दिया जाये तथा कितनी बार अनुमति दी जाये के बारे में विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करके विप्लवी परिषद के समय अग्रिम बैठक में रखी जाये।
4-	आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत अवशेष सम्पत्तियों को अना-रहित किये जाने के संबंध में।	11/141/89	परिषद ने सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये जो प्रस्ताव रखा था उस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

आरक्षित बर्ग के लिये जिन 31 शहरों की सम्पत्तियों को अनारक्षित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था उसमें से केवल निम्नलिखित 20 शहरों की सम्पत्तियों के प्रस्ताव के अनुसार अनारक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। प्रस्ताव के अनुसार केवल 50 प्रतिशत सम्पत्ति सामान्य लोगों को आवंटित की जायेगी। शेष सम्पत्ति आरक्षित बर्ग के लिये रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि जो सम्पत्ति आरक्षित बर्ग के लिये थी तथा सामान्य लोगों को आवंटित की जा रही है उसमें ही सम्पत्ति जो अगली योजना तैयार की जा रही है उसमें से अलग से आरक्षित की जायेगी ताकि आरक्षित बर्ग के लिये कुल सम्पत्ति में कमी न हो

1- बाराबंकी 2-रुहकी 3-अबोध्या  
 पैजाबाद 4-इटावा 5-बदायूँ  
 6-उन्नाव 7-मैनपुरी 8-रामपुर  
 9-चन्दौली 10-जैतपुर 11-बिजनौर  
 12-रुहेतपुर 13-अमरौली 14-तीतापुर  
 15-बल्लभगढ़ 16-हाथरस 17-  
 इलाहाबाद 18-गोरखपुर  
 19-आजमगढ़ 20-बस्ती।

- 5- ग्राम विनिमयकारी 11/151/89 अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित। परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया कि परिषद द्वारा जो ग्राम दिया गया जाता है उसकी ग्राम शर्तों बिहतररभूचक देख ली जाये।
- 6- मलयांकन निदेशिका 11/161/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि एक वर्ष के बाद इसका परीक्षण किया जाये और परिषद को अद्यत करवाया जावे।
- 7- परिषद द्वारा बैंकों से 11/171/89 कन्सोर्टियम के माध्यम से रुपये 2472.15 लाख का ऋण लिया जाना। परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
- 8- व्यवसायिक बैंकों से 11/171/89 तदैव कन्सोर्टियम के माध्यम से रु. 2472.15 लाख का ऋण लिया जाना।
- 9- 3090 आवास एवं विकास 11/181/89 तदैव परिषद को कन्सोर्टियम के माध्यम से व्यवसायिक बैंकों द्वारा रुपये 2578.35 लाख का ऋण उपलब्ध किया जाना।
- 9- परिषद के संघों/सतों लिये 11/191/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे दृष्टान्त न माना जावे।

2

3

4

- 10- उपरोक्त शासन द्वारा बनरीधित टरों पर स्वीकृत विभिन्न भूले/सविधायें परिषद के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को अनुमत्य किये जाने के संबंध में। 11/1104/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 11- मस्टर रोल कर्मचारियों को कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त किया जाना। 11/1111/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जो पद सृजित हैं उन्हीं पदों को भरा जावे। नये पद सृजित नहीं किये जायेंगे।  
नियुक्ति करते समय आरक्षित वर्ग के लिये निर्धारित कोटे को पुरा करने के बारे में भी नियमानुसार कार्यवाही को जायेगी।
- 12- उत्तर प्रदेश विधान सभाल के माननीय सदस्यों को विधायिका आवास समिति के सार्वजनिक से परिषद की योजनाओं में प्रतिष्ठित सम्बन्धित के विरुद्ध शासन द्वारा गण स्वीकृति करने में हथिये विलम्ब के कारण किसी प्रकार का व्याज अथवा दण्ड व्याज न लिये जाने के संबंध में। 11/1121/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि दण्ड व्याज माफ कर दिया जायेगा लेकिन साधारण/सामान्य व्याज माफ किया जाना सम्भव नहीं है।
- 13- अंती योजना सं०-3, इलाहाबाद के पेज-2, में खतरा सं०-230, 253 व 260 के कारखानों से आपसी वातचीत के आधार पर भूमि क्रय करने के संबंध में। 11/1131/89 परिषद के वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दि० 25.2.80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विषय पर अध्यक्ष तथा आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- 14- परिषद द्वारा विशेष परि-स्थितियों में योजना की भूमि को अर्जन मुक्त/आवृत्त कर समायोजित करने के संबंध में। 11/1141/89 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त विधि परामर्शदाता की राय से सहमति पत्र की तथा यह निर्णय लिया गया कि विधि परामर्शदाता की राय के अनुसार ही परिषद द्वारा कार्यवाही की जाए। इस बारे में परिषद की पिछली बैठक जो निर्णय लिया गया था, वृत्त्येक सभ में निर्णय लेते समय उसका भी ध्यान में रखा जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रथम के अनुसार परिषद वृत्त्येक सभ में गण अवगुण के आधार पर निर्णय ले लें।
- 15- रज्जेश्वर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजीपुर में श्री अब्दुल रज्जाके की भूमि खतरा सं०-154 में से शासनादेश के अन्तर्गत कच्ची एवं मजारा की भूमि 1.10 एकड़ को योजना में समायोजित करने के संबंध में। 11/1151/89 अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

- | 1   | 2   | 3          | 4   |
|-----|---|------------|---|
| 16- | दुर्गा देवी चरित्रविल तथा<br>प्राथमिक ट्रस्ट मेरठ की भूमि<br>अर्जन भूमि विषयक   | 11/1161/89 | -तदेव-  |
| 17- | लडारनपुर रोड योजना सं०-1<br>देहरादून में समाविष्ट श्री<br>जितेन्द्र सिंह व श्री बख्श<br>सिंह निवासी निरंजनपुर की<br>भूमि खतरा सं०-491/3/1,<br>491/3/2 को अर्जन मुक्त करने<br>के संबंध में।  | 11/1171/89 | -तदेव-  |
| 18- | मझौला भूमि विकास एवं<br>गृहस्थान योजना सं० 4/<br>भाग-1 मरादाबाद में<br>समाविष्ट श्री जगन्नाथ<br>कवर आदि की भूमि को<br>अर्जन मुक्त करने के संबंध में।  | 11/1181/89 | -तदेव-  |
| 19- | मझौला भूमि विकास एवं<br>गृहस्थान योजना सं० 4/<br>भाग-1 मरादाबाद में<br>समाविष्ट श्री राम रंदा<br>बोर्ड मित्त की भूमि को<br>अर्जन मुक्त करने के संबंध में।   | 11/1191/89 | अमली बैठक हेतु वियारार्थ स्थगित।  |
| 20- | परिषद की कर्ती रोड भूमि<br>विकास एवं गृहस्थान योजना ल<br>खनऊ में ग्राम सुरमनगर में श्री<br>एत०डी० कवर आदि की 27, बीधा<br>5 बिस्वा 19 बिस्वाती,<br>समाविष्ट भूमि में से 6750<br>वर्गमीटर भूमि श्री कवर<br>आदि से समझौता करे अवमुक्त<br>किये जाने के संबंध में। | 11/1201/89 | -तदेव-  |
| 21- | कानपुर में ए०आ०ब० एवं<br>उ०आ०ब० आगरा में<br>उ०आ०ब०, रुदा में ए०आ०<br>ब० लखनऊ में ए०आ०ब०<br>टुकाने एवं कियोत्क मेरठ<br>और इलाहाबाद में टुकानों<br>की प्रशासनिक एवं वित्तीय<br>स्वीकृति निर्गत करने के<br>संबंध में।  | 11/1211/89 | परिषद के धर्ष-1980 में प्रथम बैठक दि०<br>25-2-80 में लिखे गये निर्णय के अनुसार<br>इस विषय पर अध्ययन तथा आवात<br>आवृत्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था<br>जिसे परिषद द्वारा सर्वसम्मति से<br>अनुमोदित किया गया।  |
| 22- | प्राथमिक कर्मियों को अन्य<br>तकनीकी कर्मियों की भांति<br>विशेष शोध भत्ता दिये जाने<br>के संबंध में।   | 11/1221/89 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त<br>सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि<br>जिन इकाइयों/अनुभागों/अनिर्माण खंडों<br>जिनमें परिकल्पना गण निबंधन, मैजडा<br>अवर अभिवृत्तियों को विशेष शोध भत्ता<br>दिशा जा रहा है वही अनुभागों/इकाइयों<br>/अनिर्माण खंडों आदि में मानचित्रकों को<br>भी देव होगा। |

1	2	3	4
23-	परिषद की मझोला योजना सं०-4, भाग-1 मराठाबाद के अ स्तर उच्चतम बाद स्तर के परिपेक्ष्य में निर्धारण के संबंध में।	11/1231/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त मझोला योजना सं०-4 भाग-1 मराठाबाद के संबंध में 24 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की। परिषद ने यह भी निर्देश दिये कि इस संबंध में जो जांच चल रही है उसे दो माह में पूर्ण कराकर परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।
24-	अनुबंध सं०-4/एम०ई०/72-73 के अन्तर्गत कराये गये कार्य से संबंधित मेसर्स टण्डन टेडर्स के मालिक के पुत्र की हत्या के क्लेम के संबंध में।	11/1241/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस संबंध में एक आर्बीट्रेटर की नियुक्ति की जाये। जिसके बारे में मै० अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त निर्णय ले लेंगे।

पुण्डरीक का शायी  
 अध्यक्ष

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लंदानक  
 पहरे दिनांक 5-4-89 के कम में दिनांक 12-4-89 एवं 25-4-89 की  
 तृतीय बैठक का कागज़

दिनांक 5-4-89 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री. छगन गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री. नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री. महेन्द्र सिंह		सदस्य
4-	श्री. ओमकार सरन मेहरोत्रा		सदस्य
5-	श्री. रतीराम भाटी		सदस्य
6-	श्री. हरगिन्दर सिंह	विशेष सचिव, वित्त वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
7-	श्री. शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास आवास सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
8-	श्री. जे०पी०सिंग	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
9-	श्री. जे०पी०सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

दिनांक 12-4-89 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री. छगन गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री. नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री. महेन्द्र सिंह		सदस्य
4-	श्री. रतीराम भाटी		सदस्य
5-	श्री. एस०के०सिन्हा	संयुक्त सचिव वित्त वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
6-	श्री. शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास आवास सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
7-	श्री. शिव कुमार जर्मा	प्रबन्धा निदेशक, उ०प्र०जल निगम	सदस्य
8-	श्री. एस०एन०धाटव	संयुक्त निदेशक वित्त वित्त सी०उ०एन०	विप्रेषण आमंत्रि
9-	श्री. एस०एन०सिन्हा	उप आवास आयुक्त अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के प्रतिनिधि।	सचिव

दिनांक 25-4-89 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री. छगन गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री. नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य